कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़
सी.यू.जी.-9454400250 दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-170/2023 दिनांक-22-05-2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना कन्धरापुर

किशोरी को अचेत कर दुष्कर्म करने व धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 14.05.2023 को वादी द्वारा थाना कंधरापुर पर तहरीर दिया गया कि वादी की लड़की शौच के लिए सायं को सीवान में गयी थी। अभियुक्तगण अभिमन्यु व यशपाल द्वारा वादी की लकड़ी को जहरीली दवा सुंघाकर बेहोशी की हालत मे बलात्कार किया गया व पीडिता के होश में आने पर विरोध किए जाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 113/2023 धारा 376डी/328/342/506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ बनाम अभियुक्तगण

1.अभिमन्यू यादव पुत्र गणेश यादव निवासी ग्राम जमुआ हरिराम थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ

2. यशपाल पुत्र लालचन्द निवासीगण ग्राम जमुआ हरिराम थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी विवरण:-

उपरोक्त मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्तो की तलाश के दौरान दिनांक 21.05.2023 को मुखबीर से सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभिमन्यू यादव पुत्र गणेश यादव निवासी ग्राम जमुआ हरिराम थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ जो मंदुरी तिराह पर खडा है कही जाने के फिराक मे यदी जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है।

इस सूचना पर थानाध्यक्ष कंधरापुर मय हमराह द्वारा मंदुरी तिराहे से अभियुक्त अभिमन्यू यादव पुत्र गणेश यादव निवासी ग्राम जमुआ हरिराम थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ को समय करीब 22.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 113/2023 धारा 376डी/328/342/506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0 104/2019 धारा 401 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे
2. हे0का0 सुरेन्द्र शर्मा
3. हे0का0 दुर्गेश कुमार पाल
4. हे0का0 भानू यादव

थाना- मेंहनगर

किशोरी छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

वादीनी द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 02-03-2023 को समय करीब 9.30 बजे दिन में अपने घर से इन्टर कालेज पढ़ने जा रही थी तो रास्ते मे व गाँव का अरविन्द राजभर पुत्र सहंगू राजभर व महेन्दर यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी उषमापुर तथा सोनू वैंनवंशी पुत्र रामदवर वेनवंशी निवासी नई ने मिलकर पीड़िता के साथ छेडखानी करने लगे, शोरगुल मचाने पर गाँव के कुछ लोग द्वारा बीच बचाव किया गया।

पुन: दिनांक 02.03.2023 को 4.30 बजे शाम को नई गाँव के सीवान मे पीडिता को दुसरे अज्ञात लडको से मारना-पीटना तथा गाली गलौज दिलवा गया।

जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 90/23 धारा 354घ,323/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट दर्ज कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी की विवरण:- आज दिनांक- 22.05.2023 को उ.नि. रामअवध यादव मय हमराह द्वारा सूत्रों की सूचना पर उपरोक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त अभि0 सोनू बेनवंसी पुत्र रामदवर बेनवंसी सा0 नई थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को देवईत बाजार से समय 08.50 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.सं. 90/23 धारा 354घ,323/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

सोनू बेनवंसी पुत्र रामदवर बेनवंसी सा0 नई थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ.नि. रामअवध यादव

हे0का0 जितेन्द्र यादव

का0 अनिल चौधरी

थाना मेंहनाजपुर

अवैध असलहा व कारतूस के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 22.05.2023 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव मय हमराह द्वारा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मुखबीर द्वारा बताया गया कि तीन लड़के पैदल ही गाजीपुर की तरफ से आ रहे है तथा जियापुर के तरफ जायेगे सम्भवत: तीनो के पास नाजायज असलहा भी हो सकता है।

इस सूचना पर थानाध्यक्ष मेंहनाजपुर मय हमराह द्वारा जियापुर पुलिया से पहले ही सड़क के दोनों तरफ होकर आने वाले संदिग्धों की प्रतीक्षा करने लगे।

थोड़ी देर में पुलिया की तरफ 03 लड़के पैदल ही आते हुए दिखाई दिये मुखबिर द्वारा बताया गया यही लड़के सम्भवत: होंगे इस जानकारी के उपरान्त पोजीशन लेकर आने वाले ब्यक्तियो का इंतजार करने लगे।

नजदीक आने पर पुलिस टीम द्वारा चारो तरफ से घेरकर पकड लिया गया। अभियुक्तों की पहचान

1.बृजेश यादव उर्फ पल्लू पुत्र दीनदयाल यादव निवासी मजुई थाना सादात गाजीपुर

2. मुन्ना राजभर पुत्र हीरालाल राजभर निवासी डुहरू थाना मेहनाजपुर आजमगढ़

3. अभिषेक राजभर पुत्र रामकुमार राजभर निवासी डुहरू थाना मेहनाजपुर आजमगढ के रूप में हुयी।

अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचा व कारतुस बरामद हुआ अभियुक्तों को समय 2:40 बजे हिरासत पुलिस लिया गया।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 108 /23 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर,आजमगढ़

अपराधिक इतिहास :-

मु0अ0सं0 108 /23 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर,आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- बृजेश यादव उर्फ पल्लू पुत्र दीनदयाल यादव निवासी मजुई थाना सादात गाजीपुर

2- मुन्ना राजभर पुत्र हीरालाल राजभर निवासी डुहरू थाना मेहनाजपुर आजमगढ़

3- अभिषेक राजभर पुत्र रामकुमार राजभर निवासी डुहरू थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ ।

बरामदगी : -

01 तमंचा .303 बोर

01 तमंचा 12 बोर

01 जिन्दा कारतूस .303 बोर

03 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

01.थानाध्यक्ष मेहनाजपुर सच्चिदानन्द यादव

02. व0उ0नि0 मोती लाल पटेल

03. हे0का0 संतोष यादव

04.का0 अश्फाक अहमद

05. का0 शिवशंकर सोनी

06. का अवदेश कुमार

06. का अनुज वर्मा

थाना- महाराजगंज

सिर पर हमला कर हत्या करने के मामले में वांछित 2 महिला अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 21.05.2023 को वादी रामबचन निषाद पुत्र मोहन सा0 नौ0दे0ज0किता प्रथम विकास नगर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तगण

1.रवि पुत्र राजेश उर्फ ढोढ़ई

2. रीमा पुत्री राजेश उर्फ ढोढ़ई

3. रीता पत्नी राजेश उर्फ ढोढ़ई सा0 नौ0दे0ज0किता प्रथम विकास नगर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ द्वारा वादी के भतीजे रामताउल उर्फ सेवक को लकड़ी व ईंट से मारा पीटा गया व दीवार से सर लड़ा दिया गया जिससे चोट लगने के कारण रामताउल की मौके पर ही मृत्यु हो गई है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 157/23 धारा 302 भादवि बनाम

1.रवि पुत्र राजेश उर्फ ढोढ़ई

2. रीमा पुत्री राजेश उर्फ ढोढ़ई

3. रीता पत्नी राजेश उर्फ ढोढ़ई सा0 नौ0दे0ज0किता प्रथम विकास नगर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ के पंजीकृत कर विवेचना सम्पादित की जा रही है ।

गिरफ्तारी की विवरण:-

आज दिनांक 22.05.2023 को थानाध्यक्ष महाराजगंज को मुखबीर सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. रीमा पुत्री राजेश उर्फ ढोढ़ई 2. रीता पत्नी राजेश उर्फ ढोढ़ई सा0 नौ0दे0ज0किता प्रथम विकास नगर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ प्राथमिक विद्यालय पटपरवा के पास कहीं जाने की फिराक में साधन के इंतजार में खड़े है, यदि जल्दी किया जाय तो मिल जायेगा.

इस सूचना पर विश्वास कर थानाध्यक्ष महाराजगंज मर हमराह प्राथमिक विद्यालय पटपरवा के पास पहुँचा, मौके पर ख़ड़ी महिलाओं के पास पहुँच कर हमराही महिला आरक्षीयों द्वारा उनका नाम पता पूछा गया तो उसने नाम

1. रीमा पुत्री राजेश उर्फ ढोढ़ई उम्र 20 वर्ष

2. रीता पत्नी राजेश उर्फ ढोढ़ई उम्र 46 वर्ष सा0 नौ0दे0ज0किता प्रथम विकास नगर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ बताया।

नाम पता तस्दीक होने पर अभियुक्तागण उपरोक्त को महिला आरक्षी के संरक्षण में समय करीब 06.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 157/23 धारा 302 भादवि थाना महाराजगंज

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. रीमा पुत्री राजेश उर्फ ढोढ़ई

2. रीता पत्नी राजेश उर्फ ढोढ़ई सा0 नौ0दे0ज0किता प्रथम विकास नगर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष कमलकान्त वर्मा

का0 रविकान्त

का0 शनि अहमद

म0आ0 पूजा गुप्ता,

म0आ0 गुड़िया यादव ।

कोतवाली

कोतवाली- स्वाट-सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में दम्पत्ति के मोटरसाइकिल की डिग्गी से 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपये की चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡चोरी के 63,000/- नकद व पल्सर मोटरसाइकिल बरामद

➡ अवैध तमंचा-कारतूस, तीन मोबाइल, 4 एयरटेल सिम, 2 आधार कार्ड व डिग्गी तोड़ने का उपकरण इत्यादि बरामद

पूर्व की घटना:-

दिनाँक 25.4.23 को वादी रामनरेश यादव पुत्र स्व बलिहारी यादव ग्राम छितौनी थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ अपनी पत्नी ललिता यादव के साथ पंजाब नेशनल बैंक शाखा सदावर्ती आजमगढ़ जाकर अपने खाता से 1,20000/- रूपया निकालकर पहले का 30,000 रू कुल एक लाख पच्चास हजार रूपया बैंग में करके मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखकर घर जा रहे थे।

मोटर सायकिल की डिग्गी में ताला नहीं लगा था। बैकुन्ठ धाम मान्दिर, ब्रह्मस्थान के पास ठेला से मीठा लेने लगे इसी दौरान अज्ञात चोर द्वारा मोटरसाईकिल की डिग्गी से रूपया चुरा लिया गया। चोरी गए बैग में स्टेट बैंक का चेकबुक, पीएनबी बैंक का दो चेक बुक भी था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 25.4.23 को मु0अ0सं0 208/2023 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 22.05.2023 को चेकिंग के दौरान उ0नि0 संजय तिवारी मय उ0नि0 धर्मराज यादव व स्वाट टीम द्वितीय उ0नि0 संजय तिवारी, उ0नि0 विनय दूबे मय हमराहियान को मुखबिर से सूचना मिली कि डिग्गी से पैसा चोरी करने वाला अभियुक्त हाफिजपुर चौराहे पर मौजूद है।

इस सूचना पर थाना कोतवाली, स्वाट-सर्विलांस टीम द्वारा घेराबन्दी करके हाफिजपुर चौराहे से अभियुक्त विक्की कुमार यादव पुत्र स्व0 नन्दलाल जी निवासी जुराबगंज वार्ड नं0 1 थाना कोढ़ा जनपद कटिहार बिहार को समय 01.10 am पर हिरासत पुलिस में लिया गया।

अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर एक मिस कारतूस 315 बोर व 3 मोबाइल व 3 चार्जर, 4 सिम एयरटेल लिफाफा सहित, 2 आधार कार्ड, एक शूजा लोहे का पंचर करने वाला, दो डिग्गी तोड़ने वाला लोहे का औजार, नकद 63000, 01 पल्सर मोटरसाइकिल नम्बर UP 54 AH 1243 बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 250/23 धारा 3/ 25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 208/2023 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

विक्की कुमार यादव पुत्र स्व0 नन्दलाल जी निवासी जुराबगंज वार्ड नं0 1 थाना कोढ़ा जनपद कटिहार बिहार उम्र 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

विक्की कुमार यादव पुत्र स्व0 नन्दलाल जी निवासी जुराबगंज वार्ड नं0 1 थाना कोढ़ा जनपद कटिहार बिहार

1. मु.अ.सं. 412/2006 धारा 379/411 भादवि, देवगांव, आजमगढ़
2. मु.अ.सं. 677/2006 धारा 379/411 भादवि, सिधारी, आजमगढ़

3. मु.अ.सं. 219/2007 सिधारी आजमगढ़
4. मु.अ.सं. 36/2007 धारा 356/411 भादवि कोतवाली आजमगढ़
5. मु.अ.सं. 250/23 धारा 3/25 शस्त्र अधि. कोतवाली आजमगढ़
6. मु.अ.सं. 208/23 धारा 379 भादवि कोतवाली आजमगढ़
7. मु.अ.सं.165/23 धारा 379 भादवि मेहनगर आजमगढ़
8. मु.अ.सं. 96/23धारा 379 भादवि, जीयनपुर, आजमगढ़
9. मु.अ.सं. 97/23 धारा 379 भादवि जीयनपुर आजमगढ़

<u>बरामदगी</u>

1 अवैध तमंचा 315 बोर
1 जिंदा कारतूस 315 बोर
1 मिस कारतूस 315 बोर
3 मोबाइल मय 3 चार्जर
4 सिम एयरटेल लिफाफा सहित
2 आधार कार्ड
1 शूजा लोहे का पंचर करने वाला
2 डिग्गी तोड़ने वाला लोहे का औजार
63000/-रूपये नकद
1 पल्सर मोटरसाइकिल

<u>गिरफ्तारी करने वाले टीम</u>

उ0नि0 संजय तिवारी चौकी प्रभारी बलरामपुर
उ0नि0 धर्मराज यादव चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान
उ0नि0 संजय सिंह स्वाटी टीम प्रभारी द्वितीय
उ0नि0 विनय दूबे स्वाट टीम
हे0कां0 अभिमित तिवारी, स्वाट टीम
हे0कां0 पवन यादव, स्वाट टीम
हे0कां0 सुरेन्द्र यादव, स्वाट टीम
हे0कां0 चन्द्रमा मिश्रा स्वाट टीम
हे0कां0 उमेश स्वाट टीम

थाना बरदह

फोटो खिचने के विवाद में मारपीट करने में अस्पताल में मृत्यु, घटना से सम्बन्धित 5 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक- 21.05.23 को सिनोद चौहान पुत्र स्व0 रामनयन चौहान ग्राम जगदीशपुर थाना बरदह जनपद की माँ व बहन की फोटो पडोस की लडकी पूजा द्वारा अपने मोबाइल से खींचकर किसी अन्य व्यक्ति को भेजने की बात को लेकर वादी के माँ, पिता व बहन, पडोसी सुक्खू चौहान के घर पूछने गये तो नाराज होकर सक्खु चौहान ने गाली गुप्ता देते लकडी के पटरे से रामनयन को मार दिया गया। रामनयन चौहान मौके पर ही बेहोस हो गये जिन्हे एम्बुलेंस से सी.एच.सी. मार्टीनगंज ले गया जहाँ डाक्टर द्वारा रामनयन को मृत घोषित कर दिया गया। प्रा0पत्र मु0अ0सं0 194/2023 धारा 34/323/504/304 भादवि बनाम

1. अमरजीत उर्फ सुक्खू चौहान पुत्र स्व0बलिराज चौहान,
2. सुभावती चौहान पत्नी अमरजीत चौहान,।
3. उमेश चौहान पुत्र अमरजीत चौहान,
4. पूजा चौहान पुत्री अमरजीत चौहान,
5. नीशा चौहान पुत्री अमरजीत चौहान निवासीगण जगदीशपुर थाना बरदह आजमगढ के पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 कमला सिंह यादव को सपुर्द किया गया ।

गिरफ्तारी विवरण:-

आज दिनांक 22.05.2023 को उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के क्रम में मुखबीर सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त व अभियुक्तागण लल्लूगंज बाजार से सोहौली जगदीशपुर जाने वाले मार्ग के मोड़ पर खड़े दो पुरूष व तीन महिला पूछताछ कर हिरासत में लिया गया। अभियुक्तों की पहचान 1. अमरजीत उर्फ सुक्खू चौहान पुत्र स्व0बलिराज चौहान 2. उमेश चौहान पुत्र अमरजीत चौहान निवासीगण जगदीशपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ व अभियुक्तागण 3. सुभावती चौहान पत्नी अमरजीत चौहान 4. पूजा चौहान पुत्री अमरजीत चौहान 5. नीशा चौहान पुत्री अमरजीत चौहान निवासीगण जगदीशपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के रूप में हुयी। उपरोक्त अभियुक्तों को समय 07:30 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 194/23 धारा 34/323/504/304 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अमरजीत उर्फ सुक्खू चौहान पुत्र स्व0बलिराज चौहान,
2. सुभावती चौहान पत्नी अमरजीत चौहान,
3. उमेश चौहान पुत्र अमरजीत चौहान,
4. पूजा चौहान पुत्री अमरजीत चौहान,
5. नीशा चौहान पुत्री अमरजीत चौहान निवासीगण जगदीशपुर थाना बरदह आजमगढ

बरामदगी-

1 पटरा लकडी का घटना मे प्रयुक्त

पुलिस टीम-

कमला सिंह यादव (उ0नि0) थाना बरदह, विहंगल यादव (हे0का0)थाना बरदह

थाना बिलरियागंज

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 22.05.2023 को उप-निरीक्षक योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ मधनापार मोड़ पर मौजूद है यदि तेजी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है

इस सूचना उ0नि0 मय हमराह के साथ मधनापार मोड़ से कुछ पहले पहुँचे कि मोटर साइकिलों की रोशनी में एक व्यक्ति मधनापार मोड़ पर खड़ा दिखाई दिया। पुलिस वालों ने खड़े हुए व्यक्ति को अचानक घेरकय मधनापार रोड पर पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति से नाम-पता पूछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो अपना नाम अब्दुल्लाह खान पुत्र शमीम खान निवासी कस्बा बिलरियागंज थाना बिलरियागंज आजमगढ़ बताया।

तलाशी से उसके पहनें पैन्ट से 01 तमन्चा .303 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .303 बोर बरामद हुआ।

अभियुक्त का नाम व पता

अब्दुल्लाह खान पुत्र शमीम खान निवासी कस्बा बिलरियागंज थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

बरामदगी-

01 तमंचा .303 बोर

01 जिन्दा कारतूस .303 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 186/23 धारा 3/7/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

अपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 198/14 धारा 41/414 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

मु0अ0सं0 186/23 धारा 3/7/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 श्री योगेन्द्र प्रसाद थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मय हमराह ।

राजित प्रसाद (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ

रंजू यादव (महिला आरक्षी) थाना बरदह

थाना बरदह

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना, अश्लील विडियो भेजने व धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 20.5.23 को वादीनी थाना बरदह जनपद-आजमगढ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें अभि0 द्वारा दूर का रिस्तेदारी बताकर बातचीत कर लगभग तीन वर्ष पूर्व से शादी का झांसा देकर बलात्कार करना व शादी की बात पर नाबालिक होने की बात कर इनकार करना तथा घर वालो द्वारा वादिनी की शादी किसी दुसरे से तय होने पर पैसे की मांग करना व होने वाले पति के मोबाईल पर अपने मोबाईल नम्बरों से रिकार्डिंग बातचीत, तथा अश्लील वीडियो फोटो भेज देना व घर वालो को शादी करने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 191/23 धारा 376/506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट थाना बरदह बनाम दिनेश बिन्द पुत्र रईजू बिन्द निवासी खम्हौली (मुक्तीपुर)थाना बरदह आजमगढ पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक अपराध शमशेर यादव को सुपुर्द किया गया।

गिरफ्तारी विवरण:-

आज दिनांक 22.05.2023 को निरीक्षक अपराध शमशेर यादव मय हमराह के साथ ग्राम सोहौली तिराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर ने आकर बताया कि ग्राम खम्हौली में बलात्कार का जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसमें नामजद अभियुक्त दिनेश बिन्द पुत्र रईजू उर्फ राजू बिन्द निवासी खम्हौली(मुक्तीपुर) थाना बरदह जनपद आजमगढ मुक्तिपुर चौराहे पर है जो कहीं जाने की फिराक में है यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है । मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके मय फोर्स के ग्राम मुक्तिपुर चौराहे के पास सडक के किनारे खड़े अभियुक्त दिनेश बिन्द पुत्र रईजू उर्फ राजू बिन्द निवासी खम्हौली(मुक्तीपुर) थाना बरदह जनपद आजमगढ को हिरासत में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 191/2023 धारा 376/506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तागण/अभियुक्त

दिनेश बिन्द पुत्र रईजू उर्फ राजू बिन्द निवासी खम्हौली(मुक्तीपुर) थाना बरदह जनपद आजमगढ

पुलिस टीम-

शमशेर यादव (नि0अपराध) थाना बरदह जनपद आजमगढ

ओमकार मौर्या (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ

नितिन कुमार (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ

थाना-फूलपुर

चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

आज दिनांक 22.05.23 को उ0नि0 अजय कुमार पाण्डेय मय हमराह चेकिंग में भोरमऊ पुलिया पर मौजूद थे कि मुखबीर ने बताया कि चोरो का एक गिरोह मोटर साइकिलों के साथ आया है। ये लोग देखने में 25-30 साल उम्र है लेकिन घूमफिर कर टप्टेबाजी, गाड़ियो की डिग्गियों से समान उठाना , गाड़ियो व पशुओ की चोरी करना आदि अपराध करते है। चोरी की गाड़ियो के बेचने व अन्य अपराध की फिराक में है जिनके पास हथियार होने की पूरी सम्भावना है।

मुखबीर की सूचना पर पुलिस टीम कनेरी भट्ठा जाने वाले मार्ग तिराहे पर पहुंची। अचानक पुलिस को देखकर मोटर साइकिल पर बैठे युवक गाड़िया छोड़कर भागने के असफल प्रयास के दौरान गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अपना नाम 1.अकील अहमद S/O आफताब आलम R/O सुदनीपुर थाना फूलपुर आजमगढ

2.फरहानS/O नेसार R/O छांऊ PS गम्भीरपुर आजमगढ बताया। जिनके पास से तीन मोटरसाइकिल बरामद की गई।

पूछताछ में यह भी बताया कि हम अपनी जिविका के लिए मोटर साईकिलों की डिग्गियो से समान उड़ा लेना ,गाय , बकरी खोल लेना , पुराने गाड़ियों को चोरी करना जैसे काम करते है सस्ते दामो किसी को भी बेच देते हैं यदि कोई कस्टमर लेने को तैयार नही होता है तो गाड़ियो को कबाड़ी वाले के यहाँ बेचकर जो पैसा मिलता है आपस में बाट लेते हैं

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 213/23 धारा 411/413/473 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1.अकील अहमद S/O आफताब आलम R/O सुदनीपुर थाना फूलपुर आजमगढ़।

1.मु.अ.सं. 213/23 धारा 411/413/473 भादवि फूलपुर आजमगढ़

2**. फरहान S/O नेसार R/O छांऊ PS गम्भीरपुर आजमगढ़**

1.मु.अ.सं 213/23 धारा 411/413/473 भादवि फूलपुर आजमगढ़

2.मु.अ.सं 230/22 धारा 498ए,323 भादवि व ¾ डीपी व एक्ट फूलपुर आजमगढ़

बरामदगी-

03 चोरी की मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अजय कुमार पाण्डेय

का0 शिवराम सरोज

का0 विनोद कुमार यादव

का0 शिवम कुमार पाल

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>चेकिंग अभियान</u>

जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा चलाये गए चेकिंग अभियान में 512 वाहनों का चालान ।

दिनांक- 22.05.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाये गये अभियान में जनपद के कुल 91 स्थानों पर चेकिंग की गई जिसमें कुल 1842 वाहनों को चेक किया गया। बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवको द्वारा मोटरसाईकिल पर तीन सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 512 वाहनों का चालान किया गया।

<u>जनसुनवाई</u>

आज दिनांक- 22.05.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य व अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल द्वारा जन सुनवाई की गयी। जनसुनवाई में प्राप्त कुल 69 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

<u>पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना अतरौलिया और कप्तानगंज का किया गया वार्षिक निरीक्षण</u>

आज दिनांक- 22.05.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना अतरौलिया और कप्तानगंज का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा निम्न दिशा-निर्देश दिये गये –

➡ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा सर्वप्रथम पहुंचकर गार्द की सलामी ली गयी।

<u>निरीक्षण थाना अतरौलिया:-</u>

➡थाना कार्यालय के अभिलेखों (भूमि विवाद रजिस्टर, महिला उत्पीडन रजिस्टर, बीट बुक, जन सुनवाई रजिस्टर आदि) का निरीक्षण किया गया।

➡पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पंचायतनामा के सही रखरखाव न होने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच कराकर सम्बन्धित उप निरीक्षक के विरुध कार्यवाही की जायेगी।

➡मालखाने व माल मुकदमाती वाहनों का निरीक्षण किया गया।

➡थाना परिसर की साफ-सफाई में व्यापक सुधार देखा गया।

➡पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा थाने के ग्राम प्रहरियों (चौकीदारों) को गमछा व टार्च प्रदान कर वार्ता किया गया।

➡पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा थाना परिसर में पौधारोपण किया गया।

<u>निरीक्षण थाना कप्तानगंज:-</u>

➡थाना कार्यालय के अभिलेखों (भूमि विवाद रजिस्टर, महिला उत्पीडन रजिस्टर, बीट बुक, जन सुनवाई रजिस्टर आदि) का निरीक्षण किया गया।

➡मालखाने व माल मुकदमाती वाहनों का निरीक्षण किया गया व 03 दिवस में व्यवस्थीत कर रखने का निर्देश दिया गया।

➡पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पंचायतनामा के सही रखरखाव न होने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच कराकर सम्बन्धित उप निरीक्षक के विरुध कार्यवाही की जायेगी।

➡थाना परिसर की साफ-सफाई देखा गया और ठीक तरह से साफ–सफाई रखने हेतु निर्देशित किया गया।

➡हिस्ट्रीशीटरो की निगरानी न करने हेतु बीट आरक्षी को अर्दली रुम हेतु निर्देशित किया गया।

➡पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने के ग्राम प्रहरियों (चौकीदारों) को गमछा व टार्च प्रदान कर वार्ता किया गया।